

Food Safety and Standards Authority of India
(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)
(Training Division)
2nd Floor, MMU Building, Mata Sundari Lane, New Delhi-110 002

Dated: 30th October, 2025

NOTICE

Subject: FoSTaC Empanelled Trainers - Compliance with Minimum Training Requirement-Reg

As per the terms and conditions of empanelment under the Food Safety Training and Certification (FoSTaC) programme, all empanelled trainers are required to conduct a minimum of 20 trainings per year.

2. It has been observed that several trainers have remained inactive, i.e., have not conducted any training since their empanelment. This inactivity is a deviation from the empanelment conditions.
3. This notice serves as a final communication to all inactive trainers empanelled as on 31st March 2024. These trainers are required to conduct a minimum of three (3) FoSTaC trainings by 31st December, 2025.
4. Failure to comply with this requirement within the stipulated period will lead to de-empanelment without any further intimation.

This issues with the approval of the Competent Authority



(Ankeshwar Mishra)

Joint Director (Training)

Copy To:

Sr. Manager(IT) with a request to upload in the FSSAI website

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

(प्रशिक्षण प्रभाग)

दूसरी मंजिल, एमएमयू बिल्डिंग, माता सुंदरी लेन, नई दिल्ली-110 002

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2025

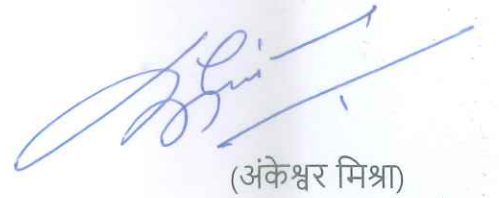
सूचना

विषय: FoSTaC (फोस्टैक) कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध प्रशिक्षकों द्वारा न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यकता के अनुपालन के संबंध में

खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन(FoSTaC) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षकों की सूचीबद्धता के नियमों और शर्तों के अनुसार, सभी सूचीबद्ध प्रशिक्षकों द्वारा प्रति वर्ष न्यूनतम 20 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन अनिवार्य है।

- यह देखा गया है कि कई प्रशिक्षक अपनी सूचीबद्धता के बाद से निष्क्रिय रहे हैं, अर्थात्, उन्होंने कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। इस निष्क्रियता को सूचीबद्धता की शर्तों का गैर-अनुपालन माना जाता है।
- यह सूचना 31 मार्च 2024 तक सूचीबद्ध सभी निष्क्रिय प्रशिक्षकों के लिए अंतिम संचार के रूप में दी जा रही है। इन प्रशिक्षकों द्वारा 31 दिसंबर, 2025 तक न्यूनतम तीन (3) FoSTaC प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है।
- निर्धारित अवधि के भीतर इस आवश्यकता का पालन करने में विफल रहने पर ऐसे सूचीबद्ध प्रशिक्षकों को बिना किसी अन्य सूचना के सूची से हटा दिया जाएगा (de-empanelment)।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



(अंकेश्वर मिश्रा)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रतिलिपि: वरिष्ठ प्रबंधक(आईटी)से अनुरोध है कि इसे एफ.एस.एस.आई की वेबसाइट पर अपलोड करें।